

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज0)

(पीठासीन अधिकारी: श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या:-39/2024 प्रार्थनापत्र

दायर दिनांक:- 09/04/2024

निर्णय दिनांक:- 26/11/2025

अनवान

1. लक्ष्मण लाल पिता खेमराज जाति सालवी निवासी हवाला तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

---प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार, देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

:: निर्णय ::

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रस्तुत किया जिसके सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के कब्जे कास्त एवं स्वामित्व की कृषि भूमि खाता संख्या 38 खसरा संख्या 771, 772, 774, 779, 780, 801 कुल किता 06 रकबा 1.1600 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 39 खसरा संख्या 743/1, 746/1, 768, 769, 794, 796, 800 कुल किता 07 कुल रकबा 1.0100 हैक्टेयर ग्राम कामला पटवार हल्का कामली में स्थित होकर उसके पड़ोस में पूर्व में राजस्व ग्राम हवाला कि बिलानाम जमीन व पश्चिम नाहर सागर तालाब व उत्तर में डाउसिंह पिता चुनसिंह रावत ग्राम पीपलीनगर तहसील भीम की खातेदारी जमीन दक्षिण में बिलानाम ग्राम कामला की जमीन है। प्रार्थी की भूमि में आने जाने हेतु बिलानाम भूमि की राजकीय भूमि से गुजरने हेतु 07 मीटर चौड़ा 500 मीटर लम्बाई का 3500 वर्गमीटर क्षेत्रफल का रास्ता सरकारी रेट से दिलाया जाने का आदेश प्रदान कराया जावे एवं नियमानुसार शुल्क जमा कर मौके पर रास्ते को नापकर कब्जा सुर्फद कराया जावे।



उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़  
जिला राजसमन्द (राज.)

लक्ष्मण बनाम राज्य सरकार  
प्रकरण संख्या:- 39/2024(प्रा0पत्र)

निर्णय दिनांक:-26/11/2025

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई अप्रार्थी को जरिये समन्न तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार, देवगढ़ से मौका रिपोर्ट ली गई जिसके अनुसार प्रार्थीगणों द्वारा चाह गया रास्ता आवश्यक है। प्रार्थी के खेत पर जाने के लिये अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी को ग्राम कामला के खसरा संख्या 815 में से रकबा 0.1120 हैक्टेयर लम्बाई कमशः 160 मीटर व चौड़ाई 7 मीटर रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है। राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि कि डी0एल0सी0 दर 413000/- रुपये प्रति हैक्टेयर है जिसका 02 गुणा 92512/- रुपये बनता जो राशि राजकोष में जमा योग्य है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-ए में प्रतिपादित है कि:- [251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way. - (1) Where - (a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or (b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen



an existing way is granted. (2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records. (3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.]


राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-ए की उपधारा (1) के प्रावधानों को क्रियान्विति के लिए राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 में संशोधन अधिसूचना दिनांक 02.03.2012 से अध्याय 12 जोड़कर नियम 68-70 के प्रावधान उपबन्धित किये गये हैं।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 68में खातेदारी भूमि में से होकर नवीन रास्ते विद्यमान रास्ते को चौड़ा करने एवं सिचाई हेतु पाइप लाईन के लिए नियम 68 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान किया गया है एवं नियम 68 के प्रावधान अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र को उपखण्ड अधिकारी द्वारा जाँच कर उसे आवेदन प्रस्तुत करने की दिनांक से 90 दिन में निस्तारण करने का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त प्रावधानों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि धारा 251-ए के अन्तर्गत खातेदारों को अन्य खातेदारों की जोत में से होकर भूमिगत पाइप लाईन के माध्यम से जल लेने या अन्य खातेदारों की जोत में से होकर नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने के लिए उपबन्धित किया गया है। जबकि प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जिस भूमि को पहुंच मार्ग हेतु मांग की गई है, वह राजकीय भूमि है। प्रार्थी द्वारा सिर्फ सुविधा हेतु चाहा गया है जबकि राजकीय भूमि का उपयोग सार्वजनिक हित के अनुसार ही किया जा सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में प्रावधान केवल खातेदारी भूमि पर से रास्ते के संबंध में ही है। राजकीय भूमि में से रास्ते प्राप्त करने के संबंध में पृथक से प्रावधान वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की खसरा संख्या 771, 772, 774, 779, 780, 801 कुल किता 06 रकबा 1.1600 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 743/1, 746/1, 768, 769, 794, 796, 800 कुल किता 07 कुल रकबा 1.0100 हैक्टेयर भूमि में पहुंच हेतु बिलानाम आराजी संख्या 815 रकबा 0.1120 हैक्टेयर में रास्ता दिया जाना विधिसंगत प्रतीत नहीं होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत है।



  
उपखण्ड अधिकारी, जयपुर  
श्री. राजसमन्ध (उपख.)

लक्ष्मण बनाम राज्य सरकार  
प्रकरण संख्या:- 39 / 2024(प्रा0पत्र)  
निर्णय दिनांक:-26 / 11 / 2025

--:आदेश:-

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थी का अस्वीकार किया जाता है । पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26 / 11 / 2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहरयुक्त जारी किया गया।



26/11/25  
(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)  
उपस्थित अधिकारी देवाड़  
जिला राजसमन्द